



कार्यालय— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची— 834002

झारखण्ड सरकार

पत्रांक.....

दिनांक— .....

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक  
झारखण्ड, राँची  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह-क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची  
मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, झारखण्ड, राँची

विषय:— संयुक्त वन प्रबंधन समिति के खाते में जमा राशि के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 2940 दिनांक 07.09.2015 के क्रम में सूचित करना है कि संयुक्त वन प्रबंधन समिति के खाते में जमा राशि के विषय में अभी तक मात्र हजारीबाग रीजन के सभी प्रमंडलों से सूचना प्राप्त हुई है । अन्य किसी रीजन से सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

निदेशानुसार कहना है कि दिनांक 18.02.2016 को प्रस्तावित Video conference में इस विन्दु की भी समीक्षा की जायेगी । राँची मुख्यालय में पदस्थापित सभी उपरोक्त पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के Conference hall में आवश्यक तैयारी के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होने की कृपा करेंगे, जिससे कि संयुक्त वन प्रबंधन के खाते में जमा राशि की समीक्षा की जा सके ।

विश्वासभाजन

ह0/-

वन प्रमंडल पदाधिकारी  
निदेशन एवं प्रशासन  
राँची

ज्ञापांक 13E-19(A)47/09 - 523 / दिनांक 15-02-16 /

प्रतिलिपि सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।  
सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक अपने अपने रीजन के जैप आई0टी0 के विडियो कंफ्रेंस हॉल में संबंधित से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन के साथ बैठक में उपस्थित रहने की कृपा करेंगे ।

13E-19(A)47/09  
ज्ञापांक - 523

दिनांक - 15-02-16

*Singh*  
15/2  
वन प्रमंडल पदाधिकारी  
निदेशन एवं प्रशासन  
राँची

Copy to Envis. Cell for information and necessary  
Action.

*Singh*  
15/2

OFO, Dir & Adm  
Raंची